न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 65/2022(पुराना नं. 21/2016)

आरसीएमएस नं. 91/2021

अमृतपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री शोभासिंह जाति जटसिख उम्र 22 वर्ष निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. जसविन्द्र कौर पुत्री श्री गुरबचन सिह पत्नी श्री हरमीत सिह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ।
2. मनजीत कौर पुत्री श्री गुरबचन सिंह पत्नी श्री सुखमन्द सिह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. कुलदीप कौर पुत्री श्री गुरबचन सिह पत्नी श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. सुखजीत कौर उर्फ सुखजिन्द्र कौर पुत्री श्री गुरबचन सिंह पत्नी श्री सुखजीत सिंह जाति जटसिख निवासी बुधसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगांगनगर।
5. किरणपाल कौर उर्फ सुमनदीप कौर पूर्व पत्नी शोभासिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
6. जीवन ज्योति पुत्री स्व श्री शोभासिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
7. भोला सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति रामढिया निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ।
8. उप पंजीयक (पंजीयन एवं मुद्रांक) संगरिया जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.05.2017

द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर संगरिया

अनवान लखविन्द्र कौर बनाम किरणपाल कौर प्र0 सं0 6/2022

उपस्थितिः—

श्री रामनाथ भाटी, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4

श्री लोकेश दाधीच अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 5 ता 7

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अभिभाषक रेस्पो0 सं0 8

निर्णय दिनांक 06.2.23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना—पत्र पेश किया जिसमें तहसील संगरिया के चक 14 पी.टी.पी. के खाता सं0 17/23 में कुल 440 हिस्सा जो अप्रार्थी सं0 1 से 3 के नाम से अंकित है तथा प्रार्थना—पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित भूमि में अपना हक हिस्सा होने, अप्रार्थी सं0 1 द्वारा राजस्व अभिलेख में नामान्तरण का अनुचित लाभ प्राप्त करने का कथन करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय कतई गलत, विधि विरूद्ध, तथा न्यायिक दृष्टान्तों के खिलाफ है। वर्णित भूमि अपीलाण्ट के पिता शोभासिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज जो वर्तमान में अपीलाण्ट व उसके माता व बहिनों के नाम से विरासतन राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें रेस्पोडेण्ट का कोई हक हिस्सा नहीं है। पूर्व में भूमि अपीलांट के पिता स्व0 शोभासिह के कब्जा काश्त में थी जिनकी मृत्यु के बाद आज तक विवादित भूमि अपीलाण्ट के व उसकी माता बहिन के कब्जा काश्त में लगातार बिना किसी बाधा के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

चली आ रही हैं। रेस्पोडेण्ट का इस भूमि के किसी भी हिस्से पर आधिपत्य व धारण नहीं है। रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट के पिता स्व0 शोभासिह के द्वारा कूटरचित दस्तावेज वारिसनामा के आधार पर स्व0 गुरबचन सिंह की भूमि शोभासिंह के नाम से नामान्तरण दर्ज करवाने के तथ्य अंकित किये परन्तु उक्त नामान्तरण दर्ज होने का ज्ञान रेस्पोडेण्ट को होने के बावजूद रेस्पोडण्ट ने कभी कोई फौजदारी कार्यवाही नही की। रेस्पेडेण्ट द्वारा कूटरचित दस्तावेज वारिसनामा के आधार मानकर अवैध रूप से नामान्तरण दर्ज करने के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये हैं जिस पर सुनने हेतु श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार अपर जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ को था परन्तु रेस्पोडेण्ट द्वारा आज तक अपीलाण्ट के पिता स्व0 शोभासिह के नाम दर्ज नामान्तरण की अपील अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय को विवादित भूमि के नामान्तरण को अपास्त करने का अधिकार नहीं था। रेस्पोडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष उक्त अनवान का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रस्तुत करते समय अपीलाण्ट नाबालिग अवस्था में था तथा जरिये कुदरतमी वली माता श्रीमति किरणपाल कौर उर्फ सुमनदीप कौर पत्नी शोभासिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुआ था, जिस कारण अपीलाण्ट को इस मुकदमे की जानकारी नहीं थी। बहिन की शादि निश्चित किये जाने के दौरान रूपयों की आवश्यकता होने पर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि को रहन कर बैंक से लोन प्राप्त करने हेतु विवादित कृषि भूमि के कागजात प्राप्त करने हेतु पटवारी से मिला तब हल्का पटवारी के बताने पर अपीलाण्ट को ज्ञान हुआ। ज्ञान होते ही अपील पेश की है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद हैं। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट मिथ्या एवं झूठे तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की हैं। अपीलाण्ट को निर्णय दिनांक 22.05.2017 की जानकारी निर्णय के दिवस से ही थी। अपीलाण्ट द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के तथ्य अंकित किये हैं अपीलाट द्वारा नियत मियाद अवधि में अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध कोई आपील प्रस्तुत नहीं की। आदेश दिनांक 22.05.

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

2017 को अन्तिम हो चुका है। लगभग डेढ वर्ष लम्बी समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद अपीलाधीन आदेश को कानूनन चुनौती नहीं दी जा सकती। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट को परेशान करने की गर्ज से झूठे व गलत आधारों पर मियाद गुजरने के उपरान्त यह अपील पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा देरी बाबत अन्य कोई विशसनीय कारण नही दिया है। जबकि देरी में प्रत्येक दिन व प्रत्येक मिनट बाबत सपष्टीकरण प्रार्थना–पत्र में किया किया जाना आवश्यक है। अपीलाण्ट नेकनियत से नही आया है ना ही स्वच्छ हाथें से माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर आया है। अपीलाट द्वारा किस दिनांक को पटवारी हल्का द्वारा बताया गया यह नहीं बताया है। पटवारी हल्का का शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। अपीलाण्ट अपील में हुई देरी को क्षमा करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट मियाद बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2002 पेज 744, आरआरडी 2012 पेज 699, आरआरटी 2009 पेज 141, आरआरडी 2010 पेज 96, आरआरटी 2014–15 पेज 96, आरआरटी 2013 पेज 786, आरआरटी 2016 पेज 1084, आरआरडी 2016 पेज 580 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. उभयपक्ष के मध्य चक 14 पी.टी.पी. के खाता सं0 17/23 में कुल 440 हिस्सा जो अप्रार्थी सं0 1 से 3 के नाम अंकित है तथा प्रार्थना–पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित विवादित भूमि में हक हिस्से के संबंध में विवाद है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक रहन बैय नहीं करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2017 को पारित किये हैं। प्रथमतः जहां पारिवारिक सदस्यों के बीच सम्पति बाबत वाद विचाराधीन हो तथा आराजी के अन्तरण का खतरा हो, तो अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार कातश्कार के विरूद्ध भी जारी की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा दोनों पक्षों को प्रश्नगत भूमि के यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। द्वितीय यह है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2017 को पारित किया गया था अपीलांट ने इस आदेश की अपील 13.05.2019 को पेश की है। अपीलाण्ट ने लगभग डेढ वर्ष की लम्बी समयावधि बीत जाने के उपरान्त यह अपील पेश की है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने पर प्रत्येक दिन बाबत सपष्टीकरण प्रार्थना–पत्र में किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

किया जाना आवश्यक है। अपील इतने विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.2.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/2/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)